Tiwari, Shri Brij Bhushan

Tyagi, Shri Om Prakash

Varma, Shri Ravindra

Varma, Shri Raghunath Singh

Yadav, Shri Jagdambi Prasad

Yadav, Shri Ramji Lal

Yadav, Shri Sharad

Yadava, Shri Roop Nath Singh

Yadvendra Dutt, Shri

MR. DEPUTY SPEAKER : The result* of the division is : *Ayes* : 38. *Noes* : 92

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill."

The Motion was adopted

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Venkataraman.

SHRI R. Venkataraman : I am not moving.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is:

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHANTI BHUSHAN : I beg to move :

"That the Bill be passed"

MR. DEPUTY SPEAER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.05 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED HEAVY LOSS OF LIFE AND PROPERTY CAUSED BY FLOODS IN VARIOUS PARTS OF THE COUNTRY.

श्री ब्रज भूषण तिवारी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि और सिंचाई मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"देश के विभिन्न भागों, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम में आई भीषण बाढ़ से जन-धन की भारी हानि और राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित राहत देने में असफलता तथा केन्द्र से सहायता की मांग।"

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : 1 जून, 1978 से 26 जुलाई, 1978 तक सम्पूर्ण देश में कुल मिलाकर, अधिक या सामान्य वर्षा हुई। 26 जुलाई, 1978

---

* The following members also recorded their votes.

AYES : Sarvshri A. K. Roy, Shri K. P. Unnikrishnan, A. Sunna Sahib, Jalagam Kondala Rao, D. K. Borooah, V. Tulsi- ram, Chhitubhai Gamit and M. V. Chandrashekhara Murthy;

NOES : Sarv shri Narsingh Yadav, Surendra Jha Suman, Vinayak Prasad Yadav, Mahendra Narayan Sardar, L.L.Kapoor, Yuvraj, Birendra Prasad, Vinodbhai B. Sheth, Shiv Ram Rai, Prafulla Chandra Sen, Mukhtiar Singh Malik, Ramapati Singh, Chandra Pal Singh, Heera Bhai, Parmar Lal and Bagum Sumbrin.

को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान असम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम वर्षा हुई । बिहार के पठारी और मैदानी भागों में सामान्य वर्षा हुई । सौराष्ट्र, कच्छ, दीव, रायलसीमा तथा कर्नाटक के दूर-दराज के इलाकों में छिटपुट वर्षा हुई है। असम, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जुलाई, 1978 के अंत तक बाढ़ की स्थिति निम्न-लिखित रही है :—

असम

असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में मई के तीसरे सप्ताह से पांच बार बाढ़ आई । ब्रह्मपुत्र और इस की सहायक नदियों के बांधों में 19 स्थानों पर दरारें पड़ गईं, जिससे ऊपरी असम में सड़क तथा रेल संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई । तेजपुर सब-डिवीजन में बचाव तथा राहत-कार्यों के लिए सेना बुलाई गई । 28 जुलाई को पांचवीं बार बाढ़ आई थी, जो अभी मौजूद है । कछार जिले में बड़क तथा इसकी सहायक नदियों में जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान मध्यम से उच्च स्तर की बाढ़ें आई थीं, जो बाद में घट गईं । जुलाई के अंतिम सप्ताह में थोड़े अर्से के लिए फिर मध्यम स्तर की बाढ़ें आईं । राज्य सरकार द्वारा, बाढ़ से हुई क्षति के बारे में लगाए गए प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार, घाटी में 440 गांवों का 2.10 लाख हैक्टार क्षेत्र और दो लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है । 0.19 लाख हैक्टार क्षेत्र में पटसन तथा धान की फसलें भी बरबाद हो गईं । दो मनुष्यों और पांच मवेशियों की मौत हुई ।

राजस्थान

राजस्थान में भारी वर्षा के कारण लगभग 2.81 लाख हैक्टार बोया गया क्षेत्र और 75,000 की आबादी प्रभावित हुई है । लगभग 91,000 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 61 व्यक्तियों तथा 491 मवेशियों की मौत हुई है राज्य सरकार ने लगभग 5 करोड़ रु० की क्षति होने का अनुमान लगाया है । राजस्थान सरकार ने राहत के कार्य शुरू कर लिए हैं । इनके पास प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राहत देने के लिए 10.19 करोड़ रु० की मार्जिन धनराशि है । झुनझुनू, सीकर, चुरु, भरतपुर, अलवर, जयपुर, बीकानेर और श्री गंगानगर जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं ।

बिहार

श्रवण क्षेत्रों में निरन्तर वर्षा होने के फलस्वरूप गंगा नदी की लगभग सभी उत्तरी सहायक नदियों, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अघवाड़ा समूह की नदियों, कमला बालन, कोसी, महानंदी तथा पश्चिम कनकई में जुलाई के तीसरे सप्ताह में बाढ़ आ गई और इन्होंने खतरे के स्तर को पार कर लिया । अघवाड़ा समूह की नदियां 24 जुलाई, 1978 को सीलीघाट में 54.55 मीटर पानी के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गईं। बागमती 20 जुलाई, 1978 को बेनीबाद में 49.51 मीटर पानी के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई । बाढ़ों से पश्चिम और पूर्व चम्पारन, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर, सहरसा, दरभंगा तथा बेतिया जिले प्रभावित हुए हैं । राज्य सरकार द्वारा बाढ़ से हुई क्षति के बारे में लगाए गए प्रारम्भिक अनुमान से पता चलता है कि 5.17 लाख हैक्टार क्षेत्र और 30.0 लाख की आबादी बाढ़ों से प्रभावित हुई है । 1258 लाख रु० के मूल्य की 1.70 लाख हैक्टार क्षेत्र की फसलों, 24,000 मकानों तथा 0.47 लाख रु० के मूल्य की सार्वजनिक सुविधाओं को क्षति पहुंची है । 27 मनुष्यों तथा 4 मवेशियों

[श्री भानु प्रताप सिंह]

की मौत हुई । अनंतिम रूप से 1267.47 लाख रु० की फसलों तथा सार्वजनिक सुविधाओं की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है ।

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा): उपाध्यक्ष महोदय, ये गलत आंकड़े पढ़े जा रहे हैं। बिहार में एक करोड़ आदमी बाढ़ से प्रभावित हुआ है और दो-तीन करोड़ रुपये की फसल का नुकसान हुआ है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव तथा राहत के लिए आवश्यक उपाय किए । बचाव के प्रयोजन के लिए सीतामढ़ी और पश्चिम चम्पारन जिले में सेना की टुकड़ियों को काम पर लगाया गया ।

उत्तर प्रदेश

अभी तक सारे राज्य में गंगा नदी में निम्न से मध्यम स्तर तक बाढ़ आई हुई है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में घाघरा तथा राप्ती नदी में जुलाई के दौरान मध्यम से उच्च स्तर तक बाढ़ आई हुई है ।

भारी वर्षा / बाढ़ों से अभी तक बाईस जिले प्रभावित हुए हैं जिन में से पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा, बस्ती देवरिया और बहराइच जिले बुरी तरह प्रभावित हुए है ।

बहराइच जिले में भिगा सब-डिवीजन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और बहुत से गांव बरबाद हो गये हैं । जिला मुख्यालय और भिगा के बीच संचार-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई । बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना की सहायता ली गई है ।

बस्ती जिले में राप्ती, बूढ़ी राप्ती और खुन्द नाले का बाढ़ का पानी किनारों के ऊपर उमड़ पड़ा जिससे बड़ी संख्या में गांव प्रभावित हुए हैं । रास्ते की संचार व्यवस्था कई स्थानों पर अस्त-व्यस्त हो गई । कई बांध भी बह गए हैं ।

गोंडा जिले में बलरामपुर से तुरतीपार तक रेलवे लाइन को क्षति पहुंची और यातायात ठप्प हो गया । सौ गांव बाढ़ से बरबाद हो गये । बलरामपुर से होकर बहने वाले सुवान नाले में बाढ़ आ गई और कस्बे के एक पुल को क्षति पहुंची । फलस्वरूप कस्बे में पानी भर गया । सहायता के लिये सेना को बुलाया गया ।

सुलतानपुर जिले में फैजाबाद से रायबरेली तक की सड़क 60 कि० मी० तक क्षतिग्रस्त हो गई जिस से मार्ग संचार में बाधा पहुंची ।

गोरखपुर जिले में घाघरा नदी तथा रोहिणी नाले में बाढ़ आ जाने के कारण एक सौ सत्रह गांव बरबाद हो गये । बचाव कार्य के लिए नावों का उपयोग किया गया । गोरखपुर जिले में डोमिनगढ़ के पास होवार्ड बांध में दरार पड़ने या पानी के ऊपर चढ़ जाने का खतरा बताया गया है जिस से गोरखपुर कस्बे में बाढ़ का खतरा है । सेना को सतर्क कर दिया गया है ।

सारे उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण हुई क्षति के बारे में राज्य सरकार द्वारा 30 जुलाई तक के लिए लगाये गये पूर्वानुमानों से पता चलता है कि 8100 गांवों में 12.55 लाख हैक्टार क्षेत्र और 37 लाख की आबादी प्रभावित हुई है । 4.86 लाख हैक्टार से अधिक क्षेत्र की फसलों 61,073 मकानों और 32.94 लाख रु० मूल्य की जन-सुविधाओं की क्षति हुई है । एक सौ सोलह व्यक्तियों और 284 पशुओं की मौत हुई है । फसलों, मकानों और जनसुविधाओं की कुल हानि

के बारे में अस्थायी अनुमान लगभग 10 करोड़ रु० का लगाया गया है ।

राज्य सरकारों/संघ राज्यों द्वारा बाढ़ से हुई हानि के बारे में 31 जुलाई, 1978 तक के लिए लगाए गये पूर्वानुमानों से पता चलता है कि 23.46 लाख हेक्टार क्षेत्र तथा 72.47 लाख आबादी पर प्रभाव पड़ा है । 9.80 लाख हेक्टार क्षेत्र की फसलों को 1.90 लाख मकानों को और 90.53 लाख रु० के मूल्य की जन-सुविधाओं को क्षति पहुंची है । दो सौ साठ व्यक्तियों तथा 820 पशुओं की मौत हुई है । समूचे देश में फसलों, मकानों और जनसुविधाओं को कुल क्षति के बारे में अनुमान लगभग 30 करोड़ रु० का लगाया गया है ।

उत्तर प्रदेश के सिवाय अन्य किसी राज्य ने अभी तक अग्रिम योजना सहायता की मांग नहीं की है । भारत सरकार से सिफारिश करने के लिये अग्रिम योजना सहायता की मात्रा के बारे में निर्धारण हेतु स्थिति का मौके पर ही अनुमान लगाने के लिए एक केन्द्रीय दल 31 जुलाई, 1978 को उत्तर प्रदेश गया हुआ है । बाढ़ से प्रभावित लोगों में निःशुल्क राहत के रूप में मुफ्त वितरण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 5,000 मीटरी टन गेहूं का अंतरिम अनुदान दिया गया था ।

राहत तथा बचाव के कार्य करना राज्य सरकार की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है । फिर भी, केन्द्रीय सरकार रक्षा-प्रतिष्ठानों तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य संगठनों के जरिए सब सम्भव सहायता प्रदान कर रही है ।

बिहार सरकार ने ब्लीचिंग पाउडर, हैजा के टीके और सर्प विष प्रतिरोधी सीरम के लिए अनुरोध किया था । दो सौ मीटरी टन ब्लीचिंग पाउडर भेजा गया है । केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली ने बिहार को अब तक हैजा के टीकों की 2 लाख मात्राओं की सप्लाई की है । हाफ्फकिन इंस्टिट्यूट, बम्बई ने सर्प विष प्रतिरोधी सीरम के 900 ऐम्पूल भेजे हैं । दिनांक 29 जुलाई, 1978 को एक जेट टोका दल मुजफ्फरपुर को चला गया है । उत्तर प्रदेश को अनुदेश जारी किए गए हैं कि व अपने स्टाक में से हैजा के टीके तथा टी० ए० बी० के टीके और सर्प विष प्रतिरोधी सीरम की काफी मात्रा विमान द्वारा भेजें । लखनऊ को विमान द्वारा डिहाइड्रेशन पाउडर के दस हजार पैकेट भेज दिये गये हैं और झांसी को सामान्य लवण (नार्मल सेलाइन) की 10,000 बोतलें भेज दी गई हैं । दिनांक 27 जुलाई, 1978 को दो जेट टोका दल लखनऊ भेजे गये हैं । दिनांक 31 जुलाई 1978 को तीसरा दल फैजाबाद भेजा गया है । राज्य सरकारें राहत तथा बचाव कार्यों के लिए सब सम्भव उपाय कर रही हैं ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत उपायों के लिए जिला अधिकारियों को 1.12 करोड़ रुपये का आवंटन किया है और 1.02 करोड़ रुपये तकावी ऋण के रूप में आवंटित किए गए हैं । उनके पास 2.18 करोड़ रुपये की मार्जिन धनराशि पहले ही उपलब्ध है । मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान भी दिये जा रहे हैं और 6 प्रभावित जिलों अर्थात गोंडा, बहराइच, बस्ती गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़ में बचाव कार्यों के लिए लगभग 2,500 नावें लगाई गई हैं । बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में किसी महामारी की सूचना नहीं मिली है । भारतीय रेड क्रास के जरिए तम्बू भी भेजे

[श्री भानु प्रताप सिंह]

गय हैं। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मुख्य मंत्रियों के बीच वयक्तिक विचार-विमर्श करने के पश्चात, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के इंजीनियरों द्वारा संयुक्त रूप से गंडक पर मधुबनी बा . की दरार को बन्द किया जा रहा है।

नवीनतम जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने खाद्यान्नों, तयार खाद्य-पदार्थों, तम्बुओं आदि की सप्लाई के लिए राहत उपायों पर 20.56 लाख पये खर्च किए हैं। प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों में भेजा जा रहा है। प्रभावित लोगों को मिट्टी का तेल, नमक, माचिस, आदि का मुफ्त वितरण किया जा रहा है। राज्य सरकार के पास 4.61 करोड़ पये की मार्जिन धनराशि उपलब्ध है।

मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि राज्य सरकारें प्रभावित लोगों को राहत देने तथा बचाव कार्य करने के लिए सभी सम्भव उपाय कर रहीं हैं। उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। बिहार और असम ने अब तक कोई अग्रिम योजना सहायता नहीं मांगी है। इससे पता चलता है कि वे अपने मौजूदा स्रोतों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जा रही अन्य सहायता से स्थिति का सामना करने में समर्थ हैं। इस स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है और राज्य सरकारों की आवश्यकता-नुसार सभी सम्भव सहायता दी जा रही है।

श्री बृजभूषण तिवारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का बयान अभी हम लोगों को सुनने को मिला। उस में बाढ़ की भयावह स्थिति का जो चित्रण होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है। क्योंकि उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं वे आंकड़े भी सही नहीं हैं। जैसे इस बयान में बिहार की तीस लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित होने की बात कही गई है जब कि अभी हमारे संसद सदस्य ने बिहार में एक करोड़ आबादी बाढ़ से भावित होने की बात कही है।

श्री विनायक प्रसाद यादव : बिहार के मुख्य मंत्री ने पचास लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित बतायी हैं। मेरा सारा क्षेत्र बाढ़ में डूबा हुआ है। वहां न कमिश्नर पहुंचा है न कलक्टर पहुंचा हैं और न बी० डी० ओ० पहुंचे हैं। वहां खाने को एक दाना भी नहीं पहुंचा है।

श्री बृजभूषण तिवारी : मान्यवर बिहार के मुख्य मंत्री ने 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित बताये हैं। असम में पांच बार बाढ़ आई है। उत्तर प्रदेश में 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए बताए जाते हैं। जो ताजे आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार कुल 26 जिले प्रभावित हुए हैं। इन जिलों के दस हजार से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित ए है पचास लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है और चौदह लाख हैक्टर से अधिक कृषि योग्य भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है। मरने वालों की संख्या 165 हो गई ह। कुल क्षति तीस करोड़ की हुई बताई जाती है। जो आंकड़े मंत्री महोदय द्वारा दिए गए हैं वे भ्रामक हैं। इसलिए मेरा पहला निवेदन यह है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत कार्य करना है लोगों की सहायता करनी है तो पहले क्षति के बारे में आंकड़ा दुरुस्त होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित देवरिया और बस्ती जिले हुए हैं। बस्ती जिले के हमारे स्वयं सिंचाई मंत्री जी हैं। वह वहां गये भी थे। उन्होंने जो रिपोर्ट प्रधान मंत्री को दी है उसके अनुसार उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि एक लाख से अधिक लोग उनके जिले में बेघरबार हो गए हैं, चार हजार से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, एक हजार से ऊपर गांव चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं और जिले की जो प्रमु

तहसीलें हैं, डुमरिया गांव, खलीलाबाद नवगढ़, बांसी, हरैया आदि ये सब की सब या इनका अधिकांश हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हुआ है। जिस तहसील के हमारे सिंचाई मंत्री जी हैं वहां उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि दर्जनों गांवों में एक भी मकान नहीं बचा है नवगढ़ में ऐसे लोग हैं जिन्होंने चार-चार दिन तक केवल छतों पर या पेड़ों की डालियों पर रह कर अपना समय काटा है। ऐसी भयावह और भीषण स्थिति इस बार बाढ़ की है। जब ऐसी स्थिति हो तो सरकारी तौर पर सरसरी सा ज्ञान दे देना उचित नहीं है। उसकी गम्भीरता को स्वीकार किया जाना चाहिए।

बाढ़ हर वर्ष आती है। हर वर्ष जो रिपोर्टें आती हैं उनसे पता चलता है कि 730 से अधिक लोग मरते हैं, 42 हजार पशु मरते हैं और लगभग 45 अरब रुपये की फसल नष्ट होती है। जब बाढ़ इतना भयावक रूप धारण कर लेती हो तो उसकी रोकथाम और साथ साथ राहत के लिए क्या व्यवस्था की गई है या की जा रही है यह भी मैं जानना चाहता हूं। इसके बारे में सरकार को स्पष्ट रूप से देश की जनता को बताना चाहिए।

बीस करोड़ का नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है। बीस करोड़ की मांग वहां के मुख्य मंत्री ने की है। लोगों को बसाने और राहत कार्य के नाम पर आप पांच सौ ग्राम प्रति यूनिट गेहूं देते हैं, आधा लिटर मिट्टी का तेल देते हैं और एक माचिस देते हैं एक सप्ताह के लिए। अब आप बतायें कि आधा लिटर तेल एक सप्ताह तक कैसे चल सकता है और कैसे आधा लिटर तेल में लोग रात गुजार सकते हैं। पानी बरस रहा है, मकान ध्वस्त हो गये हैं, सिर पर छत नहीं है, उनके लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए।

साथ ही साथ बाढ़ का स्थायी हल भी आपको खोजना होगा। पहले 1951 में बाढ़ आई तब नेहरू जी ने कहा कि बड़े बड़े बांध बनाए जाएं। 1953–54 में फिर बाढ़ आई और सारे बांध ढह गए। उसके बाद गंगा नियंत्रण कमिशन बैठा। उसके बाद राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कमिशन बैठा। इन कमिशनों ने जो रिपोर्ट केन्द्रीय बाढ़ कमिशन को दी उसके अनुसार 1974 तक केवल 7375 किलोमीटर लम्बे बांध बनाए गए 6600 गांव को पाट करके ऊंचे स्थानों पर उनको बसाया गया, करीब 200 नगर ऐसे हैं जिन को बचाने के लिए कच्ची पक्की दीवारें बनाई गईं। इस प्रकार से केवल दस प्रतिशत के करीब रकबे में कुल रकबे में से सुरक्षा के कुछ काम हुए हैं। शेष जो 80–90 प्रतिशत रकबा है उसका क्या होगा? 25–26 बरस में केवल दस प्रतिशत में काम हुआ है शेष में काम करने के लिए आपको कितना समय लगेगा यह आप बताएं। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार साफ उत्तर दे।

डा० के० एल० राव साहब ने एक अपनी योजना दी थी कावेरी-गंगा लिंक योजना। ऐसी योजना भी आयी कि बाढ़ की वजह से सारी नदियों का स्तर ऊंचा होता जा रहा है उनको गहरा किया जाए, दस्तूर साहब की योजना और जल स्रोतों का उचित इस्तेमाल करने के लिये एक ऐसी योजना बने जो वैज्ञानिक हो और जिसका सम्बन्ध आर्थिक और विकास की योजनाओं से जोड़ा जाय यह बहुत आवश्यक है। इसलिये मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां तक राहत कार्य का सवाल है उसके लिये उत्तर प्रदेश को तत्काल कितना पैसा दिया जा रहा है? दूसरी बात यह कि 30 वर्ष में प्रतिवर्ष बाढ़ से कितनी क्षति हुई?

MR. DEPUTY-SPEAKER: you will have to wind up now,

श्री ब्रजभूषण तिवारी : और सबसे बड़ी बात यह है कि केन्द्रीय सरकार का कोई भी मंत्री बाढ़ ग्रस्त इलाकों में नहीं गया, केवल हमारे राज्य मंत्री जी वहां गये बस्ती में और इसके लिए बस्ती की जनता एहसानमन्द है, और उन्होंने स्वयं भयावह स्थिति देखी। हमारे प्रधान मंत्री जी को वहां जाना चाहिए, केन्द्रीय मंत्रि मंडल के किसी वरिष्ठ सदस्य को जाना चाहिए क्योंकि लोगों के दिल में दर्द है कि अगर श्रीनगर जाया जा सकता है, विदेश में जाया जा सकता है तो इस संकट के समय जरूर केन्द्रीय मंत्रि मंडल में से किसी को वहां जाना चाहिए था। प्रधान मंत्री जी द्वारा क्यों नहीं दौरा किया गया है? भूतपूर्व प्रधान मंत्री जले पर नमक छिड़कने के लिए वहां गई हुई हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude. I am calling the Minister to reply.

श्री ब्रजभूषण तिवारी : इसलिए मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन दो वर्ष पहले हुआ था उसकी क्या सिफारिशें हैं, हाई पावर्ड कमेटी की क्या रिकमेंडेशन्स हैं? और इस बारे में देश की जनता को बतायें एक ठोस तरीके से समयबद्ध रूप में कितने समय में आप इन सारी योजनाओं को शुरू करेंगे, और वह कौन सी योजना है जैसा कि हमारी सरकार मास्टर प्लान योजना की बात करती है?

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ भी आंकड़े पढ़े हैं वह वही हैं जो हमको राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। केन्द्रीय सरकार के पास जानकारी इकट्ठा करने के लिए ऐसे मामलों में और कोई दूसरी एजेन्सी नहीं है, सिवाय इसके कि राज्य सरकारों से पूछे। यह मैं जरूर स्वीकार करता हूं कि इन आंकड़ों से जो बाढ़ आयी हुई है, उसके जो भयंकर परिणाम हैं, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जो लोग बाढ़ देखने जाते हैं उन्हें ही पता चल सकता है कि किस प्रकार से कितना कष्ट है लोगों को। मैं इसको मानता हूं, कम से कम जो दृश्य मैंने देखा है जिस क्षेत्र में, वहां और सालों की अपेक्षा इस साल बाढ़ बहुत भीषण रही है। एक तो समय से पहले आ गई, फसल बहुत छोटी थी। अगर ऊंची फसल होती, जैसे सितम्बर या अगस्त के अन्त में बाढ़ आती है तो उस समय फसलें दो, तीन फ़ीट की हो जाती हैं। मगर यह बाढ़ जुलाई की तीसरे सप्लाई में आ गई इसके कारण जो फसलें अभी 8, 10 इंच ऊंची हुई थीं वह सब बरबाद हो गई, और पानी जितना पहले कभी नहीं गया उतना ऊंचा गया। और बाढ़ आई भी बहुत सडनली, यानी कोई इसकी आशा नहीं करता था क्योंकि बाढ़ आने के पहले वहां सूखा पड़ा हुआ था और बाढ़ सिर्फ 24, 36 घण्टे के अन्दर आ गई जिसके कारण बहुत से लोग अपने घरों से अपना अनाज भी नहीं निकाल सके है। तो मैं बाढ़ से जो कष्ट हो रहा है उसको कम करके नहीं बताना चाहता। लेकिन जैसा मैं कह चुका जो आकड़े हैं वह राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये है।

श्री नाथू सिंह (दौसा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी ने अभी कहा कि जो आंकड़े दिये गये हैं वह राज्य सरकारों से प्राप्त हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हर प्रान्त की सरकार ने जो अकड़े दिये हैं वास्तव में वही आंकड़े आपने लिये हैं या दिल्ली में बैठ कर कहीं बना दिये गये हैं?

MR. DEPUTY SPEAKER : It is not a point of order.

श्री नाथू सिंह : राजस्थान में 75 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। क्या राजस्थान

सरकार से 75 हजार के आंकड़े आपके पास आये हैं ?

MR. DEPUTY SPEAKER : It will not go on record—if you persist, because every member under the garb of point of order, wants to say something.

श्री नाथू सिंह : **

MR. DEPUTY SPEAKER : It will not go on record—so that no other member gets up like this. When I say that there is no point of order, the hon. Member should kindly resume his seat.

श्री भानु प्रताप सिंह : जहां तक राहत कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता का प्रश्न है, उसकी एक प्रक्रिया है कि जब राज्य सरकारों का बजट बनता है, उनके अनुदान की बात आती है तो सारी धनराशि को जोड़ने के बाद कुछ और धनराशि दी जाती है जिसको मार्जिन मनी कहते हैं और वह केवल ऐसी विपदाओं का सामना करने के लिये दिया जाता है। लेकिन यदि उससे काम न चले तो राज्य सरकारों को चाहिये कि वह केन्द्रीय सरकार को लिखें कि भारी संकट आया है, तब यहां से सट्रल टीम जाती है और वह यह इकट्ठा करती है कि कितनी क्षति हुई है और फिर उसके अनुसार उनको एडवांस दिया जाता है जो कि उस राज्य के प्लान के खर्चे में फिर आगे एडजस्ट होता है। तो हमारे आंकड़े तब आयेंगे जब हमारी भेजी गई टीम वापिस आयेगी।

अभी तक जो सूचना है वह राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना है।

मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने हमसे टीम भेजन को कहा है और वह टीम 31 जुलाई को गई है। वह वहां पर हुई हानि और क्षति का अनुमान लगा रहे हैं। जब वह आकर अपनी रिकमडेशन देंगे उसके बाद जो कुछ भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति की जायगी।

स्थायी दल की बात भी कही गई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस देश में 25 मिलियन हैक्टेयर ऐसी भूमि है जिसमें बाढ़ आती है और अब तक जो कार्य बाढ़ से बचने के लिये किया जा चुका है, वह 10 लाख हैक्टेयर के लिये है। यह 40 फीसदी कार्य हुआ है। तो ऐसा कहना कि अभी कुछ काम नहीं हुआ, ठीक नहीं होगा। लेकिन इस काम को करने की दो कठिनाइयां हैं जिनकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एक तो कम-से-कम उत्तर प्रदेश और बिहार में जो बाढ़ आती हैं उनका स्रोत वास्तव में नेपाल में होता है। इनको अगर कंट्रोल करना है तो हमको नेपाल सरकार से मिलकर योजनाएं बनानी चाहियें। उसके लिये हमारे प्रयत्न जारी हैं, हम अपनी तरफ से पूरी तत्परता के साथ इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल सरकार और भारत सरकार की ऐसी मिली जुली योजना बने जिससे बाढ़ का पानी एक जखीरे के रूप में एकत्रित किया जाये जिससे तत्काल बाढ़ न आये।

श्री नाथू सिंह : राजस्थान के बारे में क्या कर रहे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह : ठहरिये, आपकी बारी आयेगी, तब पूछिये।

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी बारी नहीं आने वाली है, इसलिये वह बारबार प्वाइन्ट आफ आर्डर उठा रह हैं और पूछ रह हैं। मैं उनको एलाऊ नहीं करने वाला हूं।

**Not recorded.

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरे देशों में बाढ़ के नियंत्रण के लिये यह व्यवस्था होती है कि नदी के दो किलो मीटर इधर और दो किलोमीटर उधर थोड़ा दूरी पर बांध बनाया जाता है। अपने देश में यदि ऐसी व्यवस्था की जाती है तो उसमें जो गांव वाले हैं, जिनके खेत होते हैं वह उसका विरोध करते हैं क्योंकि उनके लिये मुसीबत और बढ़ जाती है। अपने देश में जमीन की कमी है, आबादी बहुत घनी है, इसलिये यह तुलना करना कि और देशों में बाढ़ पर नियंत्रण हो गया यहां क्यों नहीं होता, तो नियंत्रण तो यहां भी हो सकता है परन्तु इस बात के लिये कोई तैयार नहीं होता कि दो किलोमीटर इधर और दो किलोमीटर उधर इसके लिये जगह मिल जाये। अगर नजदीक बांध बना दें तो कठिनाई यह होती है कि उसके टूटने पर और अधिक क्षति होने का डर रहता है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर): कदम क्या उठा रहे हैं?

श्री भानु प्रताप सिंह: मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार की बाढ़ों का हल तो नेपाल सरकार से एक एग्रीमेंट कर के कुछ बाढ़ रोकने, वहां बिजली बनाने और सिंचाई की मिलीजुली योजनाएं बनाने से ही संभव होगा।

दस्तूर प्लान की बात भी कही गई है। वह बहुत बड़ा प्लान है और उस की जांच कराई जा रही है। उस की जांच करने में भी साल दो साल लगेंगे। वह जल्दी से, आसानी से, होने वाला नहीं है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बाढ़ के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं, उससे मैं तो सचमुच थोड़ा निराश हुआ हूं--आशा नहीं बंधी है। वह स्वयं किसान हैं और उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो कि खुद बाढ़ग्रस्त है। उन्होंने जिस ढंग से जबाब दिया है, उससे मैं अनुभव करता हूं कि मिनिस्टर बनने के बाद आदमी का रूप कैसे बदल जाता है। मैं तो खुद बहराइच को देख कर आया हूं।

मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। मंत्री महोदय से यह आशा थी कि आज वह आप-टु-डेट आंकड़े देंगे। लेकिन राज्य सरकारों ने जो पुराने आंकड़े निकाल कर उन को दिय हैं, वे उन्होंने यहां पढ़ कर सुना दिये हैं। अगर मंत्री महोदय आज के समाचार-पत्रों को ही पढ़ कर आते, तो उन्हें अपने आंकड़ों का खोखलापन मालूम हो जाता। इस स्टेटमेंट में मंत्री महोदय ने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा है कि वहां 8100 गांव, 12.55 लाख हैक्टर क्षेत्र और 37 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है, जबकि अखबारों में आया है कि वहां 8315 गांव, 31 लाख एकड़ भमि और 40 लाख जनता बाढ़ से प्रभावित हुई है।

इसके अलावा बूढ़ी गंडक के बांध के टूटने के कारण लगभग और 150 गांव तथा 6,63,000 जनता बाढ़ की चपेट में आ गई है। मंत्री महोदय ने कहा है कि बिहार सरकार को कहा गया है कि बूढ़ी गंडक पर मधुबनी बांध को ठीक करने के लिये इन्तजाम किया जाये। वह बांध करीब डेढ़ दो किलो-मीटर तक टूट चुका है। पूरी देवरिया तह-सील बाढ़ग्रस्त हो गई है। बिहार का विशाल क्षेत्र पानी में डूब गया है, लेकिन मंत्री महोदय को उसका पता ही नहीं है। मंत्री महोदय को कम से कम समाचारपत्र पढ़ कर आना चाहिए था।

मंत्री महोदय ने बहुत उपेक्षा के दृष्टि-कोण से एक बात कही है, और मुझे उस पर आपत्ति है। आपत्ति इस बात पर है कि उन्होंने कहा कि बाढ़ की समस्या एक प्रांतीय समस्या

है और प्रांतों को उसे हल करना है। मैं समझता हूं कि बाढ़ की समस्या इतनी भयंकर बन गई है कि किसी भी एक प्रांत के लिए उस का मुकाबला करना मुश्किल है—कोई भी प्रांत नहीं कर सकता है। जब तक केन्द्रीय सरकार बाढ़ की समस्या को सिद्धान्ततः एक राष्ट्रीय समस्या नहीं मानेगी और राष्ट्रीय स्तर पर इसे हल करने का तुरन्त प्रयत्न नहीं करेगी, और इस को प्रांतों पर छोड़ देगी, तो जनता मरेगी। हम ने देखा है कि बाढ़ से लाखों गांव तबाह हो गये हैं, कितने ही लोग मरे हैं और खेती का अरबों रुपयों का नुक्सान हुआ है।

तीस साल से गवर्नमेंट बाढ़ की समस्या पर लगातार विचार कर रही है। कमीशनों पर लाखों रुपये खर्च किये जा चुके हैं। उन की रिपोर्टों को रद्दी की टोकरी में फैंक दिया जाता है। हर साल अरबों रुपये की खेती बर्बाद हो जाती है। लोग तबाह हो जाते हैं। लेकिन मंत्री महोदय कहते हैं कि इस समस्या को हल करने में वर्षों लगेंगे। यह जो कुम्भकर्ण की नींद में आप सो रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता कि इस स्थिति में आप जनता की भावनाओं और जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों करना चाहते हैं? आप हमारी बेचैनी को अनुभव कीजिए। जिन क्षेत्रों में जनता तबाह हो गई है, आज वह अपने प्रतिनिधियों से, मेम्बर पार्लियामेंट से पूछते हैं कि तुम्हारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? हम क्या जवाब दें? आप ने जो कुछ जवाब दिया है इस जवाब को ले कर हम जनता के पास जाएंगे? इस जवाब के साथ नहीं जा सकेंगे।

इस समस्या को आप राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत हल करने की कोशिश कीजिए। तमाम जो बाढ़ से प्रभावित प्रान्त हैं उनके मन्त्रियों को साथ लेकर एक कमेटी बना कर राष्ट्रीय स्तर पर इसका इलाज सोचिए और चाहे वह दस्तूर की कमेटी हो या राव की कमेटी हो, उनके जो सुझाव हैं उन सुझावों को आप तुरन्त क्रियात्मक रूप दीजिए। आपने कहा कि दो-दो किलोमीटर हम बांध बनाएंगे तो क्या होगा? जब लाखों जनता बेचैन है, लोग बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं तो अगर आवश्यक है तो बांध बनाइए। बांध बनने में तो थोड़ी जमीन ही लगेगी, और खेत तो लोगों के रहेंगे ही। जनता इसका विरोध नहीं करेगी। यह आपकी केवल कल्पना मात्र है। उस क्षेत्र की जनता को यदि पता लगेगा कि गवर्नमेंट हमारी रक्षा के लिए बांध बना रही है तो जब सड़कों के लिए जगह दे रहे हैं, नहरों के लिए जगह दे रहे हैं तो अपनी रक्षा के लिए, बांधों के लिए जगह नहीं देंगे? मैं समझता हूं यह आपकी कल्पना मात्र है। आप ने क्षेत्र की जनता की भावनाओं को समझा नहीं।

मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा है कि हमने बिहार को दवाइयां भेज दी हैं, हमने उत्तर प्रदेश को 8 हजार मीट्रिक टन अनाज भेज दिया है जबकि ये बाढ़ें मई के महीने से शुरू हुई हैं। मई के महीने में 19 बाढ़ तो आसाम में आ चुकी हैं। मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि क्या आपका कर्तव्य नहीं है आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से प्रत्येक प्रान्त में जहां जहां बाढ़ आई है उसका अध्ययन कराते? अपनी ओर से आप क्यों नहीं कराते? प्रान्तीय सरकार कहेगी तब जांच कराएंगे?

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

यह आपका भी कर्त्तव्य है कि आप कम से कम सिचुएशन जानें तो। यह तो सामुहिक जिम्मेदारी हम लोगों की है। लेकिन नहीं, आपने टाल दिया। एक जगह आपने दवा भेज दी... (व्यवधान) यह बहुत गम्भीर मामला है, इसलिए मैं यह सब कहना चाहता हूं। इन्होंने हैज के टीके भेजे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने आपसे तीस से पचास करोड़ रुपये तक की मांग की है, आप देने के लिए तैयार हैं क्या ? आपने क्या किया है ? इससे कैसे लोगों के घर बनेंगे ? जो लोग बरबाद हो गए, जिनके जानवर मर गए, वह लोग जानवर कहां से खरीदेंगे ? उनको सबको मुआवजा देना होगा। आपने इस स्तर पर विचार किया है कि किस-किस प्रान्त को और अतिरिक्त सहायता देनी होगी ? आपने कह दिया कि प्रान्तों ने नहीं मांगा है। जिसने मांगा है उसको दिया आपने ? आपने पूछा नहीं प्रान्तों से कि क्या जितना फण्ड तुम्हारे पास है उससे अतिरिक्त राशि की आवश्यकता तो नहीं है ? जनता की बेचैनी को आपके यहां भी महसूस किया जाना चाहिए था। लेकिन आपने तो महसूस किया नहीं। तो यह मैं जानना चाहता हूं कि आपकी योजना क्या है ? इस बाढ़ की समस्या के हल के लिए और जितने लोग तबाह हो चुके हैं और जो लोग तबाही में हैं उनकी सहायता के लिए क्या आपने कोई योजना बनायी है या आप इंतजार करेंगे प्रान्तीय सरकारों का ? इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर आप कोई योजना बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, इस पर मुझे जवाब दीजिए।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, मैं वही सूचना दे सकता हूं जो राज्य सरकारों से प्राप्त हो। मैंने तो तारीख भी बता दी थी कि 31 जुलाई तक की सूचनाएं हैं। मैं समाचार पत्रों की सूचना यहां नहीं सुना सकता हूं न उसकी आवश्यकता है। उसको आप स्वयं पढ़ सकते हैं। समाचार पत्रों में कितनी बात सच छपती है कितनी झूठ छपती है, हर बात को सच नहीं माना जा सकता। मैंने 31 तारीख तक की बात बतलायी।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : ये सरकारों के आंकड़े हैं। उन्होंने प्रान्तीय सरकारों से लेकर दिए हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह : हम समाचार पत्रों पर विश्वास नहीं कर सकते। हम तो जो सूचनाएं राज्य सरकारों से प्राप्त होंगी उन्हीं पर विश्वास कर सकते हैं।

श्री नाथू सिंह : राज्य सरकारों ने आंकड़े दिए हैं समाचार पत्रों के माध्यम से।

श्री भानु प्रताप सिंह : समाचार पत्रों का माध्यम मैं नहीं स्वीकार कर सकता। अभी मुझे यहां आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का एक टेलीग्राम मिला है, वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं--

"Daily flood report dated August 1 about flood situation. (Stop) Situation sent by post. (Stop) Damage reported is as under. (Stop) Number of districts affected twenty-three. (Stop) Total number of villages affected 8,394. (Stop) Population affected 28·37 lakh. Total area affected nearly 31 lakh acres which includes 12·22 lakh acres of crop area. (Stop)

Houses damaged/destroyed 61,546 (Stop). Number of human lives lost 119 (Stop). Number of cattle heads lost 297 (Stop). Relief operation already undertaken to provide necessary help to the flood-affected people (Stop). In Districts Basti, Gonda Baharaich, Gorakhpur, Doeria, Barabanki, Azamgarh realisation of tuition fee from Class Seven to University Stage has been stayed from the Wards of those whose holdings have suffered more than fifty per cent loss due to floods (Stop)".

यह मैंने इसलिए पढ़ा कि जो लेटेस्ट आया है और जो मैं ने बयान दिया उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। इसी प्रकार से और राज्यों से भी प्रति दिन सूचनायें प्राप्त होती हैं। यदि प्राप्त नहीं होती हैं तो टेलीफोन से बात करके मालूम किया जाता है। हमारी सारी सूचनायें राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचनाओं पर ही आधारित हैं।

चौ० हरी राम मक्कासर गौदारा (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय से पूछें कि राजस्थान में कितनी वर्षा हुई है। राजस्थान में इस साल 40 इंच वर्षा गई है जब कि वहां की वर्षा का एवरेज दो ढाई इंच का है। पहले कभी वहां पर इतनी वर्षा नहीं हुई। हजारों मकान गिर गए हैं और तबाही मच गई है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जायें, आपका नाम नहीं है। आपने कह दिया जो कहना था।

श्री रामधारी शास्त्री (पदरौना): मान्यवर, सरकार की ओर से बाढ़ के सम्बन्ध में आज जो रिपोर्ट आई है उसको पढ़ कर हमारी गर्दन शर्म से झुक गई कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना और झूठी रिपोर्ट, कोई भी सरकार जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है वह कैसे प्रस्तुत करती है। मंत्री जी ने अभी वायरलेस की नकल पढ़ कर सुनाई लेकिन देश में जो सब से ज्यादा प्रभावित जिला देवरिया है उसका नाम तक कहीं पूरी रिपोर्ट में नहीं आया। असलियत यह है कि 43 किलोमीटर लम्बा बांध जो छितौनी से लेकर मधुबनी होते हुए बिहार में जाता है वह एक किलोमीटर की लम्बाई में टूट गया है और उसके टूटने की वजह से पश्चिम बिहार, चम्पारन जिले का पश्चिमी भाग तथा देवरिया का पूर्वी भाग बिल्कुल नष्ट हो गया है। यहां तक स्थिति हो गई है कि बिहार का सबसे बड़ा थाना ठुकरहा और वहां का ब्लाक, उसके रिकार्ड की बात तो छोड़ दीजिए वह पानी में बह गए, वह पूरा का पूरा थाना स्योरही शुगर फैक्टरी में शरण लिए हुए है। बचे हुए 50 हजार मवेशियों और बच्चों को ले कर लोग सड़क पर घूम रहे हैं लेकिन इस रिपोर्ट में उसका कोई पता नहीं है। उत्तर प्रदेश मे 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर बस्ती, आजमगढ़, बहराइच, गोंडा, मुरादाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 8315 गांव प्रभावित हैं लेकिन असल में दस हजार से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। ऐसे गांव हैं जहां पर सरकारी आदमी पहुंच नहीं सकते हैं। 60 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। और 70 हजार से अधिक घर गिर गए है। अभी रिपोर्ट 190 की आई है लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 300 से ज्यादा लोग मरे हैं। आज बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें पहुंचना मुश्किल है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के स्योरही और दुधही, दो ब्लाक हैं जिनके सौ से ज्यादा गांवों में 3-4 फिट पानी 20 तारीख से आज तक भरा हुआ है। वहां जाने का नाव के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। मैं वहां गया था, वहां पर झाड़ियों में बदबू आ रही थी, जानवर मरे पड़े हैं और उनको निकालने वाला कोई नहीं है। ऐसी दशा में ऐसा हलका फुलका बयान देख कर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। अकेले मेरी कांस्टीटुएंसी में स्योरही और दुधही ब्लाकों में 105 गांव 3-4 फिट पानी में घिरे हैं। वहां लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, बच्चे बच्चों

[श्री रामजारी शास्त्री]

पर घूम रहे हैं। उन में बिहार के लोग भी आ गए हैं। वहां पर यह झगड़ा था कि उत्तर प्रदेश को सरकार किसको रिलीफ बांटे। बिहार की सरकार के लिए वहां पर पहुंचना मुश्किल है। यह वहां पर झगड़ा है। आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जो खाने वाले लोग हैं, ओना कौना, कटोरा हाथ में लिये घूम रहे हैं --उन को बांट दीजिये। वे लोग दाने-दाने के लिये तरस रहे हैं. यह बड़े शर्म की बात है कि उन को खाने के लिये नहीं दिया जा रहा है। आप रिलीफ की बातें बहुत करते हैं-- पहले यह तय हुआ था कि सब को गल्ला मिलेगा, लेकिन अब यह आदेश हो गया है कि एक एकड़ से कम जिस के पास खेती होगी, सिर्फ उस को ही गल्ला मिलेगा। वे लोग दाने-दाने के लिये तरस रहे हैं, फसल बरबाद हो गई हैं, जानवर मर गये हैं, मकान गिर गये हैं, बच्चे इधर-उधर हो गये है, कम से कम इतना आदेश तो करा दीजिये कि नई फसल आने तक या जब तक उन की फसल डूबी हुई है, आप उन को खाना पहुंचायेंगे।

आपने कहा है कि हम ने राहत दी है। उत्तर प्रदेश में 50 लाख लोग प्रभावित हैं, वहां की सरकार ने 1 करोड़ 12 लाख रुपया दिया है--जो 2 रुपये प्रति व्यक्ति के लगभग पड़ता है, इस से उन का क्या भला होगा। आप केन्द्रीय सरकार का किस्सा सुन लीजिये, हमारे प्रधान मंत्री जी ने अपने सहायता कोष से वहां के 50 लाख लोगों को 5 लाख रुपया दिया है, जो 10 पैसे फी आदमी पड़ता है 10 नया पैसा फी आदमी सहायता हिन्दुस्तान की सरकार के प्रधान मंत्री ने दी है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं-- इतनी बड़ी घटना हो गई है, इतनी बड़ी जनसंख्या बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित हुई है, लेकिन प्रधान मंत्री जी वहां जा नहीं सकते हैं, कृषि मंत्री जी विदेश जा सकते हैं, लेकिन उन भूखे लोगों, नर-कंकालों को देखने के लिये, जो बाढ़ में बहे जा रहे हैं, जा नहीं सकते हैं। इस तरह की सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी--मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।

ये कहते हैं कि देवरिया जिले में छितौनी बांध दो किलोमीटर में बनाना चाहते हैं। दो किलोमीटर नहीं, बल्कि तीन किलोमीटर की दूरी में आप ने बांध बनाया, लेकिन 27 गांव बह कर चले गये, केवल नकशे पर नाम बाकी है, धरती खत्म हो गई। यही हालत आगे भी होने वाली है, क्योंकि बिहार की सरकार अलग काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार अलग काम कर रही है। दोनों में कोई सहकार नहीं है, केन्द्रीय सरकार कान में तेल डाले पड़ी है। वहां का सारा इलाका टूट गया है, बह गया है और यही हालत रही तो अभी भी सैकड़ों गांव बह जायेंगे।

इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं-- आप कम से कम तीन काम करा दीजिये--(1) क्या आप इस बात के लिये तैयार हैं कि सरकारों को आदेश दें-- जितना भी गल्ला अगली फसल आने तक जरूरत है --हर इन्सान को, जिसकी फसल बह गई है, जिस का घर नष्ट हो गया है, दिया जायगा (2) क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि इस तरह की व्यवस्था कर दें कि जिन लोगों के घर नष्ट हो गये हैं, सरकार की ओर से उन को घर बनाने के लिये अधिक से अधिक सहायता दी जायगी ? (3) क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं -- जो

300 लोग मर गये हैं, उन के आश्रितों को आप कम से कम 5 हजार रुपया फ्री-ग्रादमी देकर उन की तत्काल सहायता करेंगे ? (4) क्या आप उत्तर प्रदेश और बिहार के एक्सपर्ट्स को बुला कर और अपने एक्सपर्ट्स की मदद से बांध को बनाने का काम शुरू करेंगे जिससे उन करोड़ों लोगों की जिन्दगी को बचाया जा सके, जो खतरे में पड़ गई है।

मैं इन बातों के जवाब चाहता हू।

श्री भानु प्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं और सुझावों को बहुत ग्रादर करता हूं और उनको बहुत गौर से सुनता रहा हूं। लेकिन जो सूचना मुझे देनी है...

श्री रामधारी शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात रह गई है—राजस्थान के बारे में इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार लगभग 91 हजार मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 75 हजार आबादी प्रभावित हुई है। इनकी इस सूचना में कितनी सच्चाई है—आप स्वयं देख लीजिये—यह कैसे हो सकता है कि 91 हजार मकान क्षतिग्रस्त हों, और आबादी केवल 75 हजार प्रभावित हो ?... (व्यवधान)...

श्री भानु कुमार शास्त्री (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इन फिगर्स को करैक्ट करवा दीजिये, ये बिल्कुल गलत हैं।

श्री नाथू सिंह : ये क्या आंकड़े हैं, क्या मंत्री जी पहले से पढ़ कर नहीं आते हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, देवरिया जिले के बारे में यदि श्री रामधारी शास्त्री जी सुनना चाहें, तो वहां से जो रिपोर्ट अभी-अभी प्राप्त कराई गई है, वह मेरे पास है, मैं उसे पढ़ कर सुना देता हूं—

"According to the information received from the Government of U. P. till the 31st July, 1978, 594 villages, a population of 3,53,662 and 56,627 acres of agricultural land have been affected by floods. 2818 houses have been damaged. Relief operations are in progress. 2777 families and 212 cattle have been taken to safer places. 212 boats have been pressed into service for assistance and rescue work. Foodstuffs are being distributed among the affected people. Inoculations and other remedial measures are being taken to save the people from diseases etc.

और मधुबनी के बारे में जो लेटेस्ट सूचना है, वह यह है :

"Madhubani bandh breach has been plugged with sand bags and engineers of UP and Bihar are on the site for joint restoration work".

तो जिस बात का आप सुझाव दे रहे थे दोनों राज्यों के इंजीनियर्स वहां मौजूद हैं और वह ब्रीच प्लग किया जा चुका है, उस पर पहले ही हम ने एक्शन ले लिया है। बिहार से जो लोग आश्रित हो कर इधर आए थे उन को सहायता देने के लिए पहले ही आदेश दिये जा चुके हैं। अब जैसा मैंने पहले कहा था कि जो अन्य सुझाव दिये गये हैं उन पर हम विचार करेंगे।

श्री नाथू सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ... (व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : इस में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। बिना रूल के कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री युवराज।

श्री नाथू सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने जो...

उपाध्यक्ष महोदय : इस में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं आता। श्री युवराज, आप शुरू करें।

श्री युवराज (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय इस रिपोर्ट में चार प्रान्तों का जिक्र है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि बाढ़

[श्री युवराज]

से कर्नाटक और महाराष्ट्र भी पीड़ित हैं। मैं यह बतला देना चाहता हूं कि बिहार के बारे में जो इन की रिपोर्ट है वह तथ्यों से बिल्कुल परे है। बिहार में जो भयंकर बाढ़ आई है, उससे बिहार के अन्दर 16-17 जिले प्रभावित हुए हैं और उस से 80 लाख आबादी पर बुरा प्रभाव पड़ा है और लाखों परिवार बेघरबार हो गये हैं। आज भी गंगा नदी फरक्का के निकट खतरे के चिह्न से 17 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, कोशी नदी का जल स्तर बालतारा में खतरे के चिह्न से 76 सेंटीमीटर बह रहा है और बागमती का जल-स्तर ढेंग में 9 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। हायाघाट में खतरे के चिह्न से 98 सेंटीमीटर, मधवाही में 41 सेंटीमीटर, एकमीघाट में 47 सेंटीमीटर, बूढ़ीगंडक में 71 सेंटीमीटर, रोसड़ाघाट में 110 सेंटीमीटर और खगड़िया में 42 सेंटीमीटर पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। बागमती, सोन, गंडक, गंगा और कोशी, इन तमाम नदियों के किनारे जो-जो जिले पड़ते हैं वे 16-17 जिले सब बाढ़ से पीड़ित हैं। सहरसा, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया आदि जो जिले हैं, वे सब बाढ़ से प्रभावित हैं। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि बिहार में जब बाढ़ आई और बाढ़ की विभीषिका बढ़ने लगी, तो वहां के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री जी को एक टेलीग्राम भेज कर कहा कि 'त्राहिमाम' बचाओ। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि 40 लाख लोग आज से 15 दिन पहले जब बाढ़ आनी शुरू हो गई थी, बाढ़ से पीड़ित थे और वहां से एक टेलीग्राम भेजा गया था 'त्राहिमाम' लेकिन कोई मदद नहीं मिली। अब जो और बाढ़ आई है। उस से 80 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। इन लोगों की क्या दशा होगी इस की कल्पना नहीं की जा सकती है। आपने इस बारे में कुछ नहीं किया। बिहार के मुख्य मंत्री ने स्पेसीफिक रूप से मदद की अपील की थी लेकिन अपने इस रिपोर्ट में आपने यह बताया है कि सिवाय उत्तर प्रदेश के और किसी ने अन्तरिम सहायता की मांग नहीं की। मैं यह कहना चाहता हूं कि बाढ़ का जो मामला है, यह बहुत पुराना मामला है, और दिन प्रति दिन बाढ़ की स्थिति संगीन होती जा रही है। बिहार में लगभग 57 हजार पशु रोगों से ग्रस्त हैं और जो आंकड़े यहां पर दिये गये हैं मुझे यह देख कर बड़ा ताज्जुब होता है। लोगों की फसल तो बरबाद हो गई है लेकिन आप को यह पता होगा कि अब जब दो महीने के बाद वे रबी की खेती करना चाहेंगे तो जो पशु बच गये हैं, उन के चारे का क्या इन्तजाम होगा। यह समस्या भी सामने है। लोगों के घर गिर गये हैं, लोग बेघरबार हो गये। लोग बीमार पड़ने लगे हैं। उन के पास खाने को कुछ नहीं है। जो लोग इस सब से प्रभावित हैं वे साधारण किसान हैं, मध्यम कोटि के किसान हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी ने बताया है कि जब तक नेपाल सरकार और भारत सरकार दोनों मिल कर इस काम को नहीं करेंगी तब तक इन बाढ़ों का आना नहीं रुकेगा। मैं उन से जानना चाहता हूं कि जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसको बने 16 महीने हो गये हैं, इन 16 महीनों के भीतर आप ने कोई कल्पना की है कि नेपाल की सरकार से मिल कर किसी बाढ़ नियंत्रण योजना पर विचार करने की आवश्यकता है। यह ठीक है कि पिछले तीस साल में जो सरकार रही उस

ने इस दिशा में कुछ नहीं किया । अगर आपने इस दिशा में विचार किया है तो कितनी प्रगति हुई ? इस बीच आपने कितनी बार बैठकें की और कितनी बार नेपाल के प्रतिनिधियों से बातें कीं ? बातों का नतीजा क्या निकला ?

16 hrs.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में शिथिलता बरती जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि यह सब क्यों हो रहा है ? उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि असम में बिल्कुल समुद्र बना हुआ है । असम में बाढ़ नियंत्रण के लिए, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड की स्थापना हुई थी। वह फाइल जहां की तहां पड़ी हुई है । 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग बना था । 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग बना । उसके अन्तर्गत अभी तक क्या काम हुआ है ? इस बाढ़ नियंत्रण के कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम माना जाना चाहिए था और इसे हमारी योजना में प्राथमिकता देनी चाहिए थी। चीन में जब से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी तब से उस ने बाढ़ नियंत्रण के कार्य को अपने देश में प्राथमिकता दी है । अगर आप इस काम को प्राथमिकता नहीं देंगे तो घर रहते लोग बेघरबार बनेंगे, जमीन रहते लोग भूखे मरेंगे और हर तरह की मुसीबत का सामना करेंगे । इसलिए मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, असम में जितने भी लोग बाढ़ से पीड़ित हैं उन सब की वे सहायता करें। वहां के किसानों, मजदूरों और शरणार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इस सब के लिए जितने अनुदान की आवश्यकता है, उस की वह व्यवस्था करें।

मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि आने वाले समय में बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार के सामने क्या योजना है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : पिछले एक साल में, हमारी सरकार ने नेपाल की सरकार के साथ मिल कर इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की है । हमारे प्रधान मंत्री जब काठमांडू गये थे, उस समय सिद्धान्त रूप में यह बात स्वीकार कर ली गयी थी कि दोनों सरकारें मिल कर इस प्रकार की व्यवस्था करेंगी । उस के बाद निरंतर हमारे इंजीनियर काठमांडू गये हैं और वहां से लोग हमारे यहां आये हैं । इस पर योजना बन रही है । इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि देश के अन्दर जो भी योजना बनती है उस के बनने में भी साल-डेढ़ साल लग जाता है फिर यह तो एक अन्तर्राष्ट्रीय योजना होगी । उस के बनने में समय तो लगेगा ही । लेकिन हम इस में उदासीन नहीं हैं । इस मामले में हमारी और नेपाल की सहमति हो गयी है और इससे उन को भी लाभ होगा और हम को भी लाभ होगा ।

SHRI NATHU SINGH : On a point of clarification, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No point of clarification. Now Mr. Dhanik Lal Mandal will move the bill. He is moving the bill now. (*Interruptions*). There is no point of order. The matter is over. If there is any point of order,

[Mr. Deputy Speaker]

you can raise it after he has moved the bill. He has to move the bill. Only after he has moved it, can there be a point of order. There can be no point or order. (*Interruptions*)

There is no point of order. Please take your seat. There is no point; there is no business unless he moves the Bill. You cannot have your say in a vacuum.

(*Interruptions*)

श्री नाथू सिंह : मंत्री महोदय जा रहे हैं। इन को आप रोकें । मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have your point of order after he moves the Bill. You move the Bill.

(*Interruptions*)

श्री नाथू सिंह : उन्होंने कहा है कि नेपाल सरकार से बात चल रही है । बात करने से कुछ नहीं होगा । बाढ़ की भयंकर समस्या है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Calling attention is over. Please take your seat. Just because you want to have your say, You get up and say that you have a point of order. This is not the way to conduct yourself. Please take your seat.

(*Interruptions*)

श्री नाथू सिंह : आपने कालिंग अटेंशन स्वीकार किया है तो. . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will not allow the Lok Sabha to turn into a fish market. Please understand this. Mr. Patwary, please take your seat.

16·07 hrs.

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): I beg to move :

"That the Bill to provide for the inclusion in, and the exclusion from, the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain castes and tribes, be taken into consideration."

महोदय यह बिल बहुत सीमित उद्देश्य से लाया जा रहा है । जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्ज आर्डर (एमैंडमेंट) एक्ट 1976 के लागू होने से गुजरात में मोची जाति जो पहले डांग और बलसार जिले की एक ही तहसील में अनुसूचित जाति थी इस बिल के लागू हो जाने से पूरे राज्य में मोची जाति अनुसूचित जाति बन गई है । ऐसा होने से वहां आन्दोलन उठ खड़ा हुआ आन्दोलन इस बात को लेकर हुआ कि डांग जिले और बलसार जिले की एक तहसील में जहां यह मोची जाति पहले से अनुसूचित जाति थी पूरे राज्य में अनुसूचित जाति बन गई । लोगों का इस से विरोध हुआ । विरोध इस कारण से हुआ कि इन दो इन स्थानों को छोड़कर बाकी जगहों पर मोची जाति के लोग उन अयोग्यताओं से पीड़ित नहीं हैं जो अस्पृश्यता से पैदा होती हैं । दूसरे जिला में इस जाति के लोग कम्पेरेटिवली ऐडवांस्ड हैं । डांग जिले और बलसार जिले की एक तहसील को छोड़कर जो दूसरे जिले हैं गुजरात के उन में जब यह जाति अनुसूचित जाति बन गई एरिया रस्ट्रिकशन रिमूवल एक्ट के अनुसार तो इस के विरोध में आन्दोलन खड़ा हो गया और आन्दोलन इसलिए खड़ा